न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 64/2023 (जीसीएमएस नम्बर – 2023/215)

1. रामफूल पुत्र श्योसहाय
2. मंगल्या पुत्र श्योसहाय
3. बाबू पुत्र श्योसहाय

समस्त जाति माली निवासी गढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.01.2020 अपील संख्या 86/2019 उनवानी रामफूल वगै0 बनाम सरकार व उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 प्रकरण संख्या 86/2018 उनवानी सरकार बनाम रामफूल वगै0 में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री जितेन्द्र सैनी, वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.01.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 10.09.2018 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट्स के विरूद्ध संवत 2075 में वाके ग्राम गढ, तहसील सिकराय की आराजी खसरा नम्बर 665 के कुल रकबा 5.31 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.42 है0 भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा 0.20 है0 पर बाजरा, 0.20 है0 पर तिल की काश्त करने व 0.02 है0 पर आवास बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर लगान 3.78 का 50 गुना शास्ति 189/– रूपये आरोपित कर खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश, अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने, बेदखली करने एवं मांग कायमी करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 द्वारा खारिज कर दिया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि हर दो न्यायालयों का निर्णय खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क किया था कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ने अपीलान्ट को समुचित जवाब का मौका नहीं दिया। अपीलान्ट उप तहसीलदार की न्यायालय में उपस्थित हुआ था व जवाब के लिए समय चाहा गया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब व सबूत का मौका दिये बिना ही उप तहसीलदार बहरावण्डा ने आदेश पारित कर दिये। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को समुचित जवाब व सबूत का मौका ही नहीं मिला। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया जबकि सजा जैसे मामले में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका मिलना चाहिए था। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत व निर्णय नहीं होते हुए भी अपीलान्ट को सजा की गई है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने गौर न कर अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। पंटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित भी नहीं हुई है जबकि कानूनन बिना प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय कानून विरुद्ध है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट ही नहीं ली। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 22.01.2020 व उप तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 10.09.2018 निरस्त फरमाते हुए दफा 91 की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय की अपील श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 22.01.2020 को अपील को खारिज फरमा दिया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई थी। प्रार्थीगण को उप तहसीलदार द्वारा जरिए गिरफ्तारी वारण्ट तलब किया गया था जिसमें प्रार्थीगण उपस्थित होकर दिनांक 10.01.2022 को श्रीमान उप तहसीलदार के समक्ष जमानत मुचलके प्रस्तुत कर जमानत करवाई थी उसके बाद प्रार्थीगण ने मामलों की जानकारी की तो पता चला कि प्रार्थीगण द्वारा पेश अपील को अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 22.01.2020 को खारिज फरमा दिया गया था। जिसकी नकल हेतु आवेदन दिनांक 20.01.2022 को किया जिसकी नकल दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई इसलिए अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। तथा न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा की जाने योग्य है। कोविड–19 महामारी के चलते हुए प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। सरकार द्वारा संपूर्ण लोक डाउन लगाकर गाईडलाईन जारी की गई थी जिससे समस्त न्यायिक व सरकारी कार्य प्रभावित हो गए थे। जिसके कारण प्रार्थीगण को उक्त आदेश की समय पर जानकारी नहीं मिल सकी। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को माफ फरमाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स के विरूद्ध संवत 2075 में वाके

ग्राम गढ, तहसील सिकराय की आराजी खसरा नम्बर 665 के कुल रकबा 5.31 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.42 है0 भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा 0.20 है0 पर बाजरा, 0.20 है0 पर तिल की काश्त करने व 0.02 है0 पर आवास बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 10.09.2018 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट्स अतिक्रमियों को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर लगान 3.78 का 50 गुना शास्ति 189/– रूपये आरोपित कर खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश, अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने एवं मांग कायमी किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात् नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नकल प्राप्त किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 09.08.2018 के अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2075 में वाके ग्राम गढ, तहसील सिकराय की आराजी खसरा नम्बर 665 के कुल रकबा 5.31 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.42 है0 भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा 0.20 है0 पर बाजरा, 0.20 है0 पर तिल की काश्त करने व 0.02 है0 पर आवास बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा द्वारा अपीलांटस् को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमियों को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को लगान 3.78 का 50 गुना शास्ति 189/– रूपये आरोपित कर खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश, अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने, बेदखली करने एवं मांग कायमी करने की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानूनन चारागाह की भूमि पर काश्त व मकान बनाकर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी चारागाह की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
नयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
नयपुर